जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1568 दिनांक 22/7/22

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रामावतार शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या 127, योजना–पवनपुत्र–एच का पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थीया द्वारा सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर भूखण्ड संख्या 127, योजना–पवनपुत्र–एच का पट्टा प्रार्थीया के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455
email : dczone07jaipurjda@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1571 दिनांक 22/3/22

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थी श्री अब्दुल हमीद द्वारा भूखण्ड संख्या 18-ए योजना जसवन्त नगर का उपविभाजन करते हुए पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का सहकारी समिति द्वारा आवंटन पत्र श्रीमती जरीना को किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती जरीना द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्री अब्दुल हमीद एवं श्री फिरोज खान को किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने 1/2 हिस्से का उपविभाजन चाहा गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

उपायुक्त (जोन)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1569 दिनांक 22/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री माली राम मीणा ने चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या एफ 1/251 के नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया है। भूखण्ड का पट्टा श्री रामस्वरूप पुत्र श्री दानाराम को जारी किया गया। श्री रामस्वरूप चौपड़ा पुत्र श्री दानाराम द्वारा श्री मालीराम पुत्र श्री बालूराम के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर में मुख्तयारआम सम्पादन की है। इसके पश्चात् श्री मालीराम पुत्र श्री बालूराम बहैसियत श्री रामस्वरूप चौपड़ा पुत्र श्री दाना राम द्वारा आवेदक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मालीराम मीणा को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

-Sd-
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1561 दिनांक 21/7/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्रीमती पूनम साईवाल द्वारा भूखण्ड संख्या सी– 36 योजना आम्रपाली नगर का पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का सहकारी समिति द्वारा आवंटन पत्र श्रीमती राधा रानी साईवाल पत्नी स्व. श्री एम.एम. साईवाल को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी साईवाल का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अपंजीकृत वसीयत की प्रति के आधार पर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है।

अतः उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति 7 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नं. पीबी–एसएफ– 218डी में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में एकतरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

Sd/-
उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....1563 दिनांक.....21/7/2022

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी व गैर खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **संयुक्त गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना– पंचवटी विस्तार** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी व गैर खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी व गैर खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
केशोपुरा सांगानेर	387	0.3600	1. घींस्या पुत्र श्रीनारायण हिस्सा– पूर्ण जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त (जोन–7)
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1567 दिनांक 21/7/22

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **श्री भैरव गृ.नि.स.स.लि.** की **योजना श्री गणेश नगर ए,** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'', धारा 91 सपठित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
हरनाथपुरा जयपुर	19 20 21 22 23 24 25 26 28	0.2909 0.2909 0.7714 0.0253 0.7208 0.0632 0.4932 0.2276 0.0759	1. गेन्दी पत्नी जगदीश हिस्सा– 1/72 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 2. गुलाबचन्द पुत्र जगदीश हिस्सा– 1/72 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 3. गोमा पत्नी तुलसीराम हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 4. देवीसहाय पुत्र रामसहाय हिस्सा– 1/24 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 5. पन्ना पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा– 1/12 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 6. प्रभातीलाल पुत्र श्योकरण हिस्सा– 1/60 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 7. पोखर पुत्र डालू हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 8. बदरीनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 9. भागीरथ पुत्र बक्सा हिस्सा– 1/6 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 10. भींवा पुत्र आनन्दीलाल हिस्सा– 1/12 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 11. मांगीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति–

आयुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

		बागड़ा सा. देह खातेदार 12. मोहरीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 13. रूपनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 14. राधेश्याम पुत्र श्योकरण हिस्सा– 1/60 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 15. रामचन्दर पुत्र श्योकरण हिस्सा– 1/60 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 16. रामनारायण पुत्र तुलसीराम हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 17. लक्ष्मीनारायण पुत्र तुलसीराम हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 18. लादूराम पुत्र पांचू हिस्सा– 1/18 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 19. शंकर पुत्र पांचू हिस्सा– 1/18 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 20. श्यामलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 21. संज्यादेवी पत्नी श्योकरण हिस्सा– 1/60 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 22. सूरज पुत्र पांचू हिस्सा– 1/18 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 23. सूरजमल पुत्र श्योकरण हिस्सा– 1/60 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 24. सीताराम पुत्र डालू हिस्सा– 1/36 ज़ाति– बागड़ा सा. देह खातेदार 25. हरसहाय पुत्र रामसहाय हिस्सा– 1/24 जाति– बागड़ा सा. देह खातेदार
29 30 31 32 33 34	0.5944 0.8852 0.0126 0.6323 1.1508 0.2023	1. कैलाशचन्द पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 2. डालू पुत्र बालू हिस्सा– 1/6 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 3. नारायणलाल पुत्र पन्ना हिस्सा– 1/12 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 4. बद्रीनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 5. भागीरथ पुत्र बक्साराम हिस्सा– 1/6 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 6. महादेव पुत्र रामचन्द्र हिस्सा– 1/6 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 7. महादेव प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 8. मांगीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 9. मोहरीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 10. रुपनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 11. श्यामलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा– 1/30 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 12. श्योकरण पुत्र लच्छू हिस्सा– 1/6 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 13. श्रवणकुमार पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा– 1/36 जाति– बागड़ा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

	419	2.6557	1. कल्याणसहाय पुत्र सुवालाल हिस्सा– 1/27 जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 2. गुलाबचन्द पुत्र नारायणलाल सैनी हिस्सा– 1/54 जाति– माली सा. खातेदार 3. ननछी पत्नी सुवालाल हिस्सा– 1/27 जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 4. प्रभातीलाल पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/3 जाति– ब्राहम्ण सा. बेरिया खातेदार 5. बाबूलाल पुत्र रामप्रताप हिस्सा– 4/81 जाति– अहीर (यादव) सा. हाथोद खातेदार 6. बाबूलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा– 1/27 जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 7. बिरदीचन्द पुत्र सुवालाल हिस्सा– 1/27 जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 8. मंगलराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा– 1/3 जाति– ब्राहम्ण सा. बेरिया खातेदार 9. मोहनलाल पुत्र सुवालाल हिस्सा– 4/81 जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 10. लालचन्द पुत्र सुवालाल हिस्सा– 4/81 जाति– ब्राहम्ण सा. देह खातेदार 11. समुद्र पुत्र बिरदीचन्द सैनी हिस्सा– 1/54 जाति– माली सा. खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे **कमरा नं. पी बी–एसएफ–218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा** में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

Sd/-

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपायुक्त
जोन–07 जविप्रा, जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1554 दिनांकः– 21/7/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2022 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित **श्री महावीर गृ.नि.स.स.** की योजना– **अरिहन्त वाटिका** के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र सं	सदस्य का नाम	पिता /पति का नाम	भुखण्ड संख्या
1	नानगराम मेहरा	श्री बाबूलाल मेहरा	87–बी
2	जयन्त राय	प्रफूलराय	73
3	नारायण सिंह	प्रेमसिंह	28
4	हरदेव प्रसाद कुमावत	बुद्दाराम कुमावत	30
5	प्रीतीश चौधरी	कैलाश चंद चौधरी	35
6	सन्तोष चौधरी	कैलाश चंद चौधरी	35–ए

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्तजोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्तजोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1555

दिनांक:– 21/3/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2022 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित **श्री महावीर गृ.नि.स.स.** की योजना– **शेखावत कॉलोनी ब्लॉक–ए, बी** के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है

क्र सं	सदस्य का नाम	भुखण्ड संख्या
1	इन्दर लाल सैन पुत्र श्री सुवालाल सैन	ए–30
2	मीना देवी पत्नि गोविन्द सिंह	121–ए
3	श्रीमती राखी जैन पत्नि प्रेमसिंह	142
4	नारायण लाल जाखड पुत्र श्री नन्दाराम जाखड	100–ए
5	श्री प्रीती दीक्षित पुत्र राधारमन दीक्षित	ए–40
6	श्रीमती लक्ष्मी टांक पत्नि श्री राजेश टांक	29
7	प्रतिमा गुप्ता पत्नि श्री चन्दन गुप्ता	123
8	मिनाक्षी देवी पत्नि बाबूलाल कुमावत	111
9	श्री अनीता सिंह पत्नि श्री रविन्द्र सिंह	117
10	नादान सिंह राजावत पुत्र श्री शिवराज सिंह राजावत	23
11	विमला कॅवर पत्नि श्री रघुवीर सिंह	19
12	मोहित दाधिच पुत्र श्री रामचन्द्र दाधिच	68 सी
13	श्रीमती निर्मला बंसल पत्नि श्री जुगल किशोर बंसल	107–ए
14	सीताराम पुत्र सुखदेव	139–ए
15	ब्रजकॅवर पत्नि पूनम सिंह राठौड	12
16	श्री जगन्नाथ कुमार जाखड पुत्र श्री जोधाराम जाखड	45–ए
17	श्री दीपक गुप्ता जरिये सुख्यार पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता	ए–41
18	श्री प्रीती दीक्षीत पुत्री राधारमन दीक्षीत	ए–48
19	श्री नरेन्द्र सिंह राजावत पुत्र एस.डी. राजावत	17(एन.पी)
20	रूपकॅवर पत्नि गजेन्द्र सिंह राठौड	134
21	श्रीमती गायत्री देवी पत्नि श्री अशोक कुमार शर्मा	67–सी
22	लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र रामचन्द्र यादव	ए–32
23	दिनेश कुमावत पुत्र श्री पूरणमल कुमावत	136
24	श्री भंवर लाल कुमावत पुत्र श्री नन्दलाल कुमावत	ए–17 एन.पी
25	समशेर सिंह पुत्र श्री प्रभुसिंह	ए–29
26	भवानी शंकर पुत्र श्री कन्हैयालाल	ए–8
27	बजरंग लाल कुमावत पुत्र श्री भोमाराम	92
28	मेवाराम कुमावत पुत्र श्री स्व0 पन्नालाल कुमावत	ए–9
29	रीता अरोडा स्व0 राजेन्द्र अरोडा	91
30	भंवर सिंह राजावत पुत्र श्री बंजरग सिंह राजावत	94
31	जमना चन्दा पत्नि निरंजन कुमार आर्य	70 एन.पी
32	कृष्णा देवी मीनापत्नि सुवालाल मीना	143

33	नानूराम जाखड पुत्र श्री नुन्द राम जाखड	37 (एस.पी)
34	भंवरलाल जाखड पुत्र श्री शिवबक्स जाट	84–ए
35	कयुम खातून पुत्र मोहम्मद हाफिज	118
36	आशा कॅवर पत्नि श्री करण सिंह	ए–8
37	गोपाल लाल जाट पुत्र लक्ष्मण लाल जाट	51(एस.पी)
38	मुकेश देवी पत्नि श्री राजेश कुमार	ए–4
39	रवि यादव पुत्र श्री श्री सत्यनारायण	ए–38
40	उमेश शर्मापुत्र श्री सुरेश शर्मा	67–डी
41	मोहनसिंह राठौड पुत्र श्री भंवरसिंह राठौड	52 व 52–ए
42	रिब्बू शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश शर्मा	ए–24/ए(एस.पी)
43	श्री धन्नालाल पुत्र श्री रामचन्द्र	ए–23(एन)
44	अनिल कुमार पुत्र गोपाल कृष्ण मिल्लर्ड	13
45	नीतू सिंह पत्नि जितेन्द्र सिंह	117–ए
46	मुन्शी कॅवर पत्नि रमेश सिंह राठौड	137
47	सुवालाल मीणा पुत्र देवीसहाय मीणा	137–ए
48	पूनम कॅवर पत्नि कानसिंह	135–ए
49	कुलदीप सिंह राजावत पुत्र श्री	ए–3
50	विमला देवी पत्नि श्री राधारमन दीक्षित	ए–40
51	श्रीमती नीतू कॅवर पत्नि नरेन्द्र सिंह	ए–14
52	लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र रामचन्द्र यादव	ए–33
53	गिर्राज शर्मा पुत्र श्री विजय शंकर शर्मा	114
54	शारदा जांगिड पत्नि श्री चिरजीलाल जांगिड	113
55	हरि शंकर शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा	ए–24(एन.पी)
56	मितुषा शर्मा पत्नि श्री सुरेश कुमार शर्मा	71(दक्षिण)
57	बजंरग सिंह राठौड पुत्र श्री रिछपाल सिंह	बी–3–27
58	कुसुम राठौड पत्नि श्री प्रकाश सिंह शेखावत	बी–1
59	कुसुम राठौड पत्नि श्री प्रकाश सिंह शेखावत	बी–1–ए
60	हाकिम सिंह पुत्र श्री शंकरसिंह	बी–30
61	प्रभुनारायण कंडेरा पुत्र नानकराम	बी–38
62	अभय कुमार मिश्रा पुत्र श्री रामसुरेश मिश्रा	बी–39
63	पुरषोत्तम वशिष्ठ पुत्र श्री कृष्ण शर्मा बी–11–सी	बी–11–सी
64	संगीता कुमारी शर्मा पत्नि सत्यप्रकाश शर्मा	बी–23
65	सुरजन सिंह पुत्र देवीसिंह राठौड	बी–2–29
66	सुमन सैनी पत्नि ललित सैनी	बी–41
67	श्रीमती राजवाला कॅवर पत्नि श्री गणपत सिंह	बी–35–ए
68	माया देवी पत्नि श्री सवाई सिंह	127 बी
69	अनीता खण्डेलवाल पत्नि श्री रामप्रसाद खण्डेलवाल	बी–42
70	सुमन कॅवर पत्नि श्री महावीर सिंह	बी–35(एस.पी)
71	सरिता विजय पत्नि श्री सुभाष विजय	बी–33
72	श्री रजन ठाकुर पुत्र श्री इन्द्रकान्त ठाकुर बी–38–ए	बी–38–ए
73	विजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा	बी–45
74	सुनीता उज्जवल पत्नि श्री यशपाल उज्जवल	बी–44

75	मंगेज देवी पत्नि श्री दयाचन्द सिंह	बी–1–सी
76	प्रकाश सिंह शेखावत पुत्र श्री दीपसिंह शेखावत	बी–26
77	डोली देवी पत्नि श्री भुदेव सिंह	बी–3–29
78	श्रीमती किरण सिंह पत्नि श्री दिलीप सिंह	बी–3
79	रमेश सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह	बी–1–डी
80	विश्वनाथ जांगिड पुत्र श्री सावलराम जांगिड	बी–4
81	पिंकी देवी पत्नि श्री सचिन्द्र मोहन	बी–34
82	श्रीमती पुष्पा कॅवर पत्नि स्व0 मोहनसिंह	बी–28
83	मंजू कॅवर पत्नि श्री नाहर सिंह	बी–35
84	नारायण सिंह राठौड पुत्र श्री मोहनसिंह राठौड	बी–1–बी
85	किशोर सिंह राठौड पुत्र श्री खींवसिंह राठौड	बी–31–ए
86	लालाराम रैगर पुत्र श्री रामदेव रैगर	बी–17
87	विमला दहिया पत्नि श्री डां जगदीश थेवर	बी–15
88	सत्यवीर सिंह नरूका पुत्र श्री जगदीश सिंह नरूका	बी–22
89	सुमन कॅवर पत्नि विक्रम सिंह नरूका	बी–30–ए
90	उर्मिला देवी पत्नि श्री सुरेश चन्द्र	बी–43

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन–9/2022/डी–4052 दिनांक:– 21.2.2022

PROP786 22/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण मे भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	बी–75	137.50 वर्ग गज	आनन्द विहार	श्रीमती इन्द्रा सक्सैना पत्नी श्री राज बहादुर सक्सैना	राज बहादुर सक्सैना पुत्र श्री प्रभू दयाल सक्सैना	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर।

19
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

19
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी– 4080 दिनांक– 22/7/2022

PRO(E)766 22/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	277	355.55 व.ग.	कुसुम विहार (पटेल नगर गृ.नि.स.स.)	श्री सीताराम चौधरी पुत्र स्व. श्री रामगोपाल चौधरी	श्रीमती पुष्पलता पत्नी बलबीर सिंह	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर बेचान पर।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

sd/-

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी–4078 दिनांक–22-7-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

PRO R 757 22/7/22

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल व.ग.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	180	203.33 व.ग.	बंशीपुरी प्रथम	श्री मोहन लाल गुप्ता पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता	ज्ञानचंद लोढ़ा पुत्र श्री सरदार मल लोढ़ा	अंपजीकृत दस्तावेजो के आधार पर।
2	ए–148	286.60 व.ग.	शिवपुरी	यज्ञमित्र पुत्र श्री रामखिलाड़ी मीना	श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नी श्री रामजीवन	दस्तावेज गुम होने के कारण

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन–9
जविप्रा,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1592 दिनांक 21/7/2022

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

PROP 926 22/7/22

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	6	श्याम विहार	श्रीमती नीता जानयानी पत्नी स्व. श्री मनीष कुमार एवं श्री पुलकीत सचदेवा जरिये सरक्षिकता नीता जानयानी	श्री वेद प्रकाश तिवाड़ी पुत्र श्री राम प्रसाद शर्मा	पंजीकृत विक्रय पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमती नीता जानयानी पत्नी स्व. श्री मनीष कुमार एवं श्री पुलकीत सचदेवा जरिये सरक्षिकता नीता जानयानी निवासी :– एल–702, 7th फ्लोर, सिटी ऑफ गोल्डन होम्स, जगतपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

21/07/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

क्रमांकःज़विप्रा/उपा. जोन–8/2022/डी–2043 दिनांकः– 21/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर ज़यपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

PR/R 977/22/7/22

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	513	गोविन्दपुरा (जविप्रा योजना)	श्रीमती आरती वर्मन पत्नी श्री कमल वर्मन	श्री महावीर गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता	अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 14.03.2007 के आधार पर
2	107	खुशी विहार (निजी खातेदारी)	श्री शुभेन्दु पाठक पुत्र श्री पूर्णेन्दु प्रसाद पाठक एवं पूर्णेन्दु प्रसाद पाठक पुत्र श्री कान्ता प्रसाद पाठक	श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी पुष्कर दत्त	अपंजीकृत मु0आम दिनांक 08.11.2012 के आधार पर
3	172	पत्रकार कॉलोनी (जविप्रा योजना)	श्री सुरेश शर्मा पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम शर्मा	श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्रीमती बीना शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 16.02.2018 के आधार पर

उपायुक्त/जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

जोन – 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/उपा. जोन–8/2022/डी– 2041 दिनांकः– 21/7/2022

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष ज़ोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

PRO R 976 22/7/22

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सी–34	सचिवालय विहार स्कीम नम्बर–27 (बंधु गृ.नि.स.स.)	श्रीमती नाजरीन खांन पत्नी श्री मुस्ताक खांन	श्री शैतान सिंह पुत्र श्री मानसिंह	अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 16.03.2004 के आधार पर

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

PRO R779 22/7/22

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्री घनश्याम जांगिड पुत्र श्री गोपाल लाल जांगिड मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना कीर्ति सागर-आई	07	650.58

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

M

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी-1561/21.7.22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

:–आम सूचना:–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सूरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गोविन्द नगर के **भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 216.66 श्रीमती पारूल गोयल पत्नी श्री सुनिल कुमार गोयल एवं भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 216.66 श्रीमती रितु गोयल पत्नी अनिल कुमार गोयल द्वारा** जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत् ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखंण्ड का आंशिक भाग ग्राम बदरवास के खसरा नं. 90 प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

PRO R 729 21/7/22

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:–जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी–1559
दिनांक:– 21/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

P.R. 2861 22/7/22

:–सूचनाः–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **दी शिवा कॉ–आपरेटिव हा. सासोयटी लि. की योजना 6डी इजीनियर्स कॉलोनी वाई ब्लॉक के भूखण्ड संख्या वाई–11, वाई–12, वाई–13, वाई–14** द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत् ऑफलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। उक्त भूखण्ड **ग्राम मान्यावास के खसरा नं. 273/438 रकबा 0.0700 किस्म गै.मु. व 274 रकबा 0.0600 किस्म गै.मु. चाह** में सृजित होना पाया गया है। उक्त खसरा नम्बरो को योजना में शामिल किया जा रहा है, खसरा नम्बर वर्तमान में जविप्रा के नाम दर्ज है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्डों की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,
पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

.....

क्रमांकः–जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी– 1539
दिनांकः– 20/7/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन–5/2022/डी– 2228 दिनांक :– 21.7.22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नियमन/नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड पट्टा विलेख जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	–	22	सरती नगर	श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री कल्याण सहाय पारीक	श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी स्व. श्री कल्याण सहाय पारीक	समिति की मूल रसीद खोने बाबत
2.	–	खसरा नं. 13/139 ग्राम बृजलालपुरा तहसील जयपुर	पृथ्वीराज नगर	श्रीमती नाना देवी पत्नी स्व. श्री छोगालाल एवं अन्य	निजी खातेदारी	अपंजीकृत दस्तावेज
3.	94700	19	गोपालपुरा बी	श्री दिलीप कुमार, सुरेश, कोटूमल, टेकचन्द, किशन मोहनानी एवं श्रीमती माया समनानी	श्रीमती कमलेश पावा पत्नी श्री श्याम सुन्दर पावा	आवंटन पत्र व सदस्यता सूची के नाम में भिन्नता
4.	–	359	शांति नगर	श्री जुगल किशोर अत्री पुत्र स्व. श्री सोहन लाल अत्री	श्री महेन्द्र कुमार चांडलिया पुत्र श्री जी. सी. चांडलिया	अपंजीकृत दस्तावेज

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा/उपा./जोन–14/2022/डी–2764 दिनांक 21/7/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम
1.	264	श्रीमती हीरा देवी चबलानी	जविप्रा	बिलवा योजना
2.	एच–94	श्रीमती सीमा देवी	जविप्रा	अभिनव विहार विस्तार

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

21.7.22
उपायुक्त जोन-14
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

PRO R-274 22-7-22

21.7.22
उपायुक्त जोन-14
ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3442 दिनांकः– 19.7.2022

–:सूचना:–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

PR-B/262/22/7/22

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	कानाराम पुत्र श्री बालूराम चौधरी (हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना गणपति एनक्लेव)	54	270.00
2	दौलत राम जांगिड पुत्र श्री चिम्मन लाल जांगिड (मीनावाला गृ.नि.स.समिति की योजना कीर्ति सागर–एफ ब्लॉक)	F 9 D	145.27
3	सन्तोष परिहार पत्नी श्री सुशील परिहार एवं सुशील परिहार पुत्र श्री पी.एल. परिहार (श्यामपुरी गृ.नि.स.समिति की योजना श्याम नगर)	63	193.33

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. ..... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी– 3346 दिनांकः– 19.7.2022

–:सूचना:–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	प्रीति अग्रवाल पत्नी श्री नवीन अग्रवाल (श्यामपुरी गृ.नि.स.समिति की योजना श्याम नगर)	63A	193.33
2	हर्ष जैन एचयूएफ पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जैन (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.समिति की योजना मॉडल टाउन)	17	228.00

PRO R 783 22/7/22

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. ..... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urbanrajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3425 दिनांकः– 15.7.2022

–:सूचना:–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्रीमती सीता शर्मा पत्नी स्व. श्री श्रवण लाल शर्मा (रामराजपुरा गृ.नि.स.समिति की योजना कनक विहार)	41	185.83
2	श्री राकेश जांगिड पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जांगिड (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना सुखिजा विहार–ए)	71	166.00

P.R.O. R/264/22/5122

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. ..... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

N.P.-V.N.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांकः–जविप्रा/उपा./पीआरएन–उत्तर(द्वितीय)/2022/डी– 1007 दिनांकः– 19.7.2022

–:सार्वजनिक सूचना:–

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर–द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये है। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:–

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	रामराज गुर्जर/रजन गुर्जर (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना–बीना कॉलोनी)	12	111
2	संगीता देवी/बाबूलाल शर्मा (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना–अरिहन्त वाटिका)	82	266.66
3	रविकान्त/ज्ञानचन्द (श्री लक्ष्मी गृ0 नि0स0स0लि0की योजना–बजरंग कॉलोनी)	2ए	200
4	राजेश यादव/रामप्रसाद यादव (श्री महावीर स्वामी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना–बीना कॉलोनी)	बी–14	117.33
5	मंगली देवी/शिवपाल (दी शिवा को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 की योजना–अयोध्या नगर)	सी–185	200
6	कविता/श्यामसुन्दर (टैगोर नगर गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना–पवन पुत्र ए)	28	189
7	सुरेन्द्र सिंह शेखावत/नाहर सिंह (सूरजपोल गेट गृह विकास स0स0लि0की योजना–श्योनाथ विहार)	सी–7	126
8	रेखा देवी/अशोक कुमार सिंह (श्री लक्ष्मी गृ0 नि0 स0स0लि0की योजना–मां हिंगलाज नगर–बी)	59	200

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

2- उक्त पत्रावलीयों में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन–उत्तर–II
जविप्रा,जयपुर।

पीआरएन–उत्तर–II
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप–13

{नियम13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 21/7/2022

कमांक – 2760

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी को जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जारी विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरित होने के कारण योजना के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एंव आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(5) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एंव राजस्थान अभिद्ति अधिनियम की धारा 63(II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एंव सपठित राजस्थान अभिवृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावसित कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावें :–

क्र. सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना	ग्राम/तहसील	खसरा	रकबा	स्वामित्व
1	पटेल नगर गृ. नि.स.स. लि.	चौधरी कॉलोनी	बीलवा/सांगानेर	944	0.19	गौरीशंकर पुत्र हनुमान हिस्सा- 5/12 जाति- मीणा सा. ग्राम पोस्ट छजवाडा तह.बस्सी जिला जयपुर खातेदार नरेश पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा- 11/24 जाति- मीणा सा. प्लाट नं.8 अशोकपुरा अजमेर रोड जयपुर खातेदार रामराय पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. ग्राम पोस्ट छजवाडा तह.बस्सी जिला जयपुर खातेदार,
				946/2160	0.02	
				945	0.05	गौरीशंकर पुत्र हनुमान हिस्सा- 11/36 जाति- मीणा ग्राम पोस्ट छजवाडा तह.बस्सी जिला जयपुर खातेदार नरेश पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा- 31/72 जाति-

PRSR-975
22-7-22

उपायुक्त/जोन-14
जे.वि.प्रा. जयपुर

						मीणा सा. प्लाट नं.8 अशोकपुरा अजमेररोड खातेदार रामराय पुत्र हनुमान हिस्सा- 19/72 जाति- मीणा ग्राम पोस्ट छजवाडा तह.बस्सी जिला जयपुर खातेदार,
				946	0.40	रामराय पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. ग्राम पोस्ट छजवाडा तह.बस्सी जिला जयपुर खातेदार,
				947	0.25	गौरीशंकर पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा. ग्राम पोस्ट छजवाडा तह.बस्सी खातेदार नरेश पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा. प्लाट नं.8 अशोकपुरा अजमेर रोड जयपुर खातेदार
				948	0.28	बद्रीनारायण पुत्र श्योनाथ हिस्सा- 1/8 जाति- हरियाणा ब्राह्मण सा. देह खातेदार मुन्नीदेवी पत्नि राकेशकुमारविजय हिस्सा- 7/8 जाति- महाजन सी-66 साकेत कालोनी जयपुर खातेदार,
				949	0.15	
2	बाबा आर.एन. गौड गृ. नि.स.स. लि.	महर्षि गौतम नगर द्वितीय	मथुरावाला / सांगोनर	253	0.10	कजोड़ पुत्र भौरिया हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा. देह खातेदार जगदीश पुत्र भौरिया हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा. देह खातेदार,
				254	0.09	
				291	0.09	
				292	0.05	
				292 / 2	0.02	
				293 / 1	0.01	
				281	0.01	गोपीराम पुत्र महादेव हिस्सा- 1/2 जाति- मीना सा. देह खातेदार घासीलाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा. देह खातेदार सम्पत्तिदेवी पुत्री कानाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा. देह खातेदार,
				303	0.08	
				304	0.07	

उपखण्ड अधिकारी-1/4
जे. वि. प्रा., जयपुर

				274	0.29	नाबालिग कृष्णा पुत्री छोटूलाल संरक्षक सरपरस्त माता लालीदेवी पत्नी छोटूलाल, हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार नाबालिग रामलाल पुत्र छोटूलाल संरक्षक सरपरस्त माता लालीदेवी पत्नी छोटूलाल, हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार नाबालिग रामावतार पुत्र छोटूलाल संरक्षक सरपरस्त माता लालीदेवी पत्नी छोटूलाल, हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार
				275	0.02	लालीदेवी पत्नि छोटूलाल हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा. देह खातेदार
				253/2	0.02	घासी पुत्र श्रीनारायण हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा नि. ढाबच, तहसील फागी, जिला जयपुर, खातेदार,
				275/2	0.10	
				277	0.06	
				278	0.13	
				279	0.16	
				280	0.11	
				282/416	0.03	
				284	0.0650	गणेश पुत्र हरदेवा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा, सा.देह
				285/1	0.02	
				288/1	0.07	
				289	0.10	
				290	0.06	
				297	0.08	
				298	0.0050	
				299	0.010	
				300	0.010	

उपायुक्त जोन-14
ज.वि.प्रा. जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 Ext: 8350, Fax-0141-2574539, email: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

				301/1	0.02	
				309/2	0.17	
				310/2	0.02	
				314/1	0.06	
				273	0.20	नाबालिग आकाश पुत्र गिरधारी सरंक्षक सरपरस्त माता मंजूदेवी हिस्सा- 1/6 जाति- मीणा सा. देह खातेदार गोविन्द कुमार पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/32 जाति- मीणा सा. देह खातेदार प्रताप पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. देह खातेदार मंजूदेवी पत्नि गिरधारी हिस्सा- 1/6 जाति- मीणा सा. देह खातेदार मिठू देवी पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा- 1/32 जाति- मीणा सा. देह खातेदार मोती पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. देह खातेदार नाबालिग रवि पुत्र गिरधारी सरंक्षक सरपरस्त माता मंजूदेवी हिस्सा- 1/6 जाति- मीणा सा. देह खातेदार रामधन पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/32 जाति- मीणा सा. देह खातेदार रामनारायण पुत्र रामनाथ हिस्सा- 1/8 जाति- मीणा सा. देह खातेदार सुनिता देवी पुत्री गोपाल हिस्सा- 1/32 जाति- मीणा सा. देह खातेदार,
				276	0.60	
				314/464	0.03	रामनिवास पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/2 जाति- धानका निवासी मानपुर.नांगल्या.तहसील.सांगानेर खातेदार रामविलास पुत्र मोहनलाल हिस्सा- 1/2 जाति- धानका निवासी मानपुर.नांगल्या.तहसील.सांगानेर खातेदार,
				316/413	0.08	
				321/414	0.04	
				282	0.22	घासीलाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार चन्दालाल मीणा पुत्र गोविन्दराम मीणा हिस्सा- 1/2

						जाति- मीणा नि. भोण्डा की ढाणी ग्राम बास बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार सम्पति पुत्री स्व.कानाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार,
				283	0.15	घासीलाल पुत्र कानाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार दिगम्बर प्रसाद मीणा पुत्र नारायण लाल मीणा हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा नि. प्लाट न. 01 श्रीराम नगर , ग्राम श्रीराम की नांगल ,चौखी ढाणी के पीछे ,गोनेर मोड ,तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. खातेदार सम्पति पुत्री स्व.कानाराम हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार,
				307	0.83	नाथू पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/3 जाति- बागडा ब्राह्मण सा. देह । खातेदार रामअवतार शर्मा पुत्र माधोलाल शर्मा हिस्सा- 2/3 जाति- हरियाणा ब्राहमण नि मकान न 84 मोहन नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर खातेदार,
				308	0.39	

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग आवासन एंव स्वायत्व शासन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)निविवि/अभियान/2021/मु.मु. ज्ञा जयपुर दिनांक 28.02.2021 के बिन्दु संख्या के कम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वेसाधारण को सूचित किया जाता हे कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नंबर 322 पार्किंग भवन तृतीय तल जविप्रा स्थित न्यायालय के कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय में आपतियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पूर्नग्रहित किया जा सकेंगा।

नोटिस आज दिनांक 21/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।

जन सम्पर्क अधिकारी

21/7

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन–06/उपा./डी–2225 दिनांक....21.7.2022

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :– मित्र गृ.नि.स.स की योजना चौमू रोड़ की सदस्य सूची के प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मित्र गृ.नि.स.स की योजना चौमू रोड़ की सदस्य सूची का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : सदस्यता सूची।

उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन-06
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

पं. संख्या/Reg. No. : COOP/2021/JAIPUR/202442
BRN : 8005220020002043

फोन : 0141-3509858

भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति (रजि.)

कार्यालय : क-12, मुरलीपुरा बीड़ स्कूल के सामने, भवानी नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड़, जयपुर-302039 (राज.)
ई-मेल : bhawaninagarkblockvs@gmail.com

क्रमांक :-02

दिनांक 20/09/2021

ग्राम - बीड़ सरकारी, तहसील - जयपुर, जोन - 6

सहकारी समिति - मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर (पं. क्र. - 603/L)

योजना का नाम - चौमू रोड़

सदस्यता सूची

क्र.स.	भूखण्ड धारक का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं	क्षेत्रफल वर्गगज	विक्रेता/मूल आवंटी
1.	अज्ञात	-	1	730.12	-
2.	अज्ञात	-	2	183.35	-
3.	अज्ञात	-	3	304.37	-
4.	विश्व नाथ पंसारी	हरी शंकर पंसारी	4	140.10	रामचन्द्र
5.	संजय कुमार पंसारी	विश्व नाथ पंसारी	4A	142.65	रामचन्द्र
6.	गोपाल लाल डोई	कालूराम डोई	5	289.33	बद्रीनारायण
7.	रामकिशोर	लच्छू राम जी	6	151.66	स्वयं
8.	घन श्याम पारीक	छगन लाल पारीक	6A	148.98	रामकिशोर

अध्यक्ष
भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति
जयपुर

मंत्री
भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति
जयपुर

कोषाध्यक्ष
भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति
जयपुर

P.T.O

Reg. No. : COOP/2021/JAIPUR/202442 — 4 —
: 8005220020002043
फोन : 0141-3509858

भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति (रजि.)

कार्यालय : क-12, मुरलीपुरा बीड़ स्कूल के सामने, भवानी नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड़, जयपुर-302039 (राज.)
ई-मेल : bhawaninagarkblockvs@gmail.com

क्रमांक :-

दिनांक .....

क्रं.स.	भूखण्ड धारक का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं	क्षेत्रफल वर्गगज	विक्रेता/मूल आवंटी
9.	बिमला	सांवरमल	7	287.64	हनुमान सहाय
10.	सोहन लाल शर्मा	राम निवास व्यास	8	143.77	बाबुलाल
11.	स्वाती शर्मा	सोहन लाल शर्मा	8A	143.33	बाबुलाल
12.	गंगा राम जी	सेडूराम सैनी	11	360.49	स्वयं
13.	रामा देवी	गंगा राम जी	13	305.54	स्वयं
14.	रूकमा	लच्छू राम सैनी	14	649.05	स्वयं
15.	अज्ञात	-	16	411.34	-
16.	राम कुमार शर्मा व हर सहाय शर्मा	बिरदीचंद शर्मा	16A	202.64	श्याम लाल महेता

अध्यक्ष
भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति
जयपुर

मंत्री
भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति
जयपुर

कोषाध्यक्ष
भवानी नगर क-ब्लॉक विकास समिति
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/उपा./जोन–12/22/डी–1926 दिनांक 20-7-2022

~~सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),~~ जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषयः–90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

PRO R 789 22/7/22

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - {+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-1926 दिनांक 20-7-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **धानोता गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **गोविन्द नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थन अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम जाहौता तहसील आमेर	1652	0.2700	रामजीलाल मीणा पुत्र भगताराम मीणा हिस्सा सम्पूर्ण जाति मीणा सा. नांगलपुरोहित खातेदार।
कुल किता	**1**	**0.2700**	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस मे कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 20-7-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12